**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1789**

**06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: कृषि क्षेत्र में अत्यधिक मजदूरी-प्रभार का प्रभाव**

**1789. श्री माजीद मेमनः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में किसान प्रति क्‍विंटल लदाई और तौल लागत हेतु अत्यधिक मजदूरी-प्रभार का भुगतान कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों को होने वाला वास्तविक लाभ घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की अत्यधिक मजदूरी-प्रभारों, लदाई-प्रभारों और किसानों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री के संबंध में भुगतान किए गए कमीशन राशि के संबंध में दिशा-निर्देश बनाने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क) एवं (ख) ऐसा कोई उदाहरण भारत सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्‍न ही नहीं उठता।

\*\*\*\*